

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/142


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

-: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला दतिया को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त नर्सिंग होम्स के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त नर्सिंग होम्स के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. प्रदीप उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्ति, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति मं. में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

  
(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ ग्वालियर संभाग, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. प्रदीप उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/170


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

—: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला विदिशा को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. बी. एल. आर्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

  
(डॉ. के.के. ठसू)


संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. बी. एल. आर्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, विदिशा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/168


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला रतलाम को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. प्रभाकर ननावरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्ति, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति, मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

  
(डॉ. के.के. ठस्सू)


संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. प्रभाकर ननावरे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, रतलाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/166


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

—: आदेश :—

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला सागर को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्रस्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. आई. एस. ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

  
(डॉ. के.के. ठाकुर)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

भोपाल, दिनांक /12/2017

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ सागर संभाग, सागर मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. आई. एस. ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/164

भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला रायसेन को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. शशि ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

(डॉ. के.के. ठस्सु)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. शशि ठाकुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/162


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

—: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला हरदा को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. किशोर कुमार नागवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्ति, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति मद् में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. ठस्सु)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. किशोर कुमार नागवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला हरदा की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, हरदा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/160


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला ग्वालियर को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. एस. एस. जादौन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्त के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. ठसू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. एस. एस. जादौन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/158


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला बुरहानपुर को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. डी. एस. चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बुरहानपुर पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके बिरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. ठक्कर)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. डी. एस. चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बुरहानपुर की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/156


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

-: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला भिण्ड को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. जे. पी. एस. कुशवाह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मूद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. वर्मा)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

भोपाल, दिनांक /12/2017

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ ग्वालियर संभाग, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. जे. पी. एस. कुशवाह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, भिण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/154


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला बड़वानी को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 01 प्रकरण को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, डॉ. व्ही. बी. जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी पर राशि रु. 500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।


  
(डॉ. के.के. वर्मा)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

भोपाल, दिनांक /12/2017

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग, इन्दौर मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. व्ही. बी. जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बड़वानी की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, बड़वानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/152


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

-: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला रीवा को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 02 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 02 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ.एस. के. त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा पर एकमुश्त राशि रु. 1,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

  
(डॉ. के.के. ठसू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

भोपाल, दिनांक /12/2017

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ रीवा संभाग, रीवा मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. एस. के. त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रीवा की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/150


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

—: आदेश :—

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला उमरिया को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 03 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 03 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. उमेश नामदेव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया पर एकमुश्त राशि रु. 1,500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियाँ, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ मंद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. ठक्कुर)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. उमेश नामदेव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उमरिया की ओर पत्रिनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, उमरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/148

भोपाल, दिनांक 04/12/2017

-: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रुजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला सीहोर को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 05 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 05 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. डी. आर. अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर पर एकमुश्त राशि रु. 2,500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियाँ, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ मंद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. डी. आर. अहिरवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, सीहोर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/146


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला देवास को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 05 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बर निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 05 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. एस. के. सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास पर एकमुश्त राशि रु. 2,500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।


  
(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

भोपाल, दिनांक /12/2017

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. एस. के. सरल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला देवास की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/144


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

—: आदेश :—

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला अलीराजपुर को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 13 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 13 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. प्रकाश ढौके, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलीराजपुर पर एकमुश्त राशि रु. 6,500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. ठसू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. प्रकाश ढौके, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अलीराजपुर की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/142


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

—: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला राजगढ़ को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक के 13 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदनों की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक के आवेदन संबंधी 13 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. अनुसुइया गवली सिन्हा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ पर एकमुश्त राशि रु. 6,500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्ति, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति, मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. ठस्सू)


संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

भोपाल, दिनांक /12/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. अनुसुइया गवली सिन्हा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
मध्यप्रदेश



# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/140


भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला जबलपुर को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम के क्रमांक: 02 एवं 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम के आवेदन संबंधी 03 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. एम.एम. अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर पर एकमुश्त राशि रु. 1,500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. वरमा)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. एम. एम. अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/138

भोपाल, दिनांक 04/12/2017

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला आगर मलवा को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम के क्रमशः 07 एवं 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम के आवेदन संबंधी 08 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. बी. एस. बरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आगर मालवा पर एकमुश्त राशि रु. 4,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मँद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 04/12/2017

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. बी. एस. बरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आगर मालवा की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,

मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/136


भोपाल, दिनांक 04/12/2017.

:- आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला भोपाल को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम्स के क्रमशः 01 एवं 05 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम्स के आवेदन संबंधी 06 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत, प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. सुधीर जैसानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल पर एकमुश्त राशि रु. 3,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्ति, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति मद् में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके बिरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।



(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ.

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /12/2017

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. सुधीर जैसानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल की ओर पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

# संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश-462004

दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल [health.loksevamp@gmail.com](mailto:health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/134

भोपाल, दिनांक 04/12/2017

-: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/ दिनांक 04/12/2017 को आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा की गई समीक्षा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला अनूपपुर को "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" के माध्यम से पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु प्राप्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम्स के क्रमशः 12 एवं 01 आवेदन समयसीमा बाह्य लंबित पाये गये (सूची संलग्न)। "एम.पी ऑनलाईन पोर्टल" पर लंबित आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होने एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा प्रेषित समय सीमा बाह्य लंबित आवेदनों की साप्ताहिक ईमेल रिपोर्ट के पश्चात् भी समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने की स्थिति बारम्बार निर्मित होती है। अतः "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त क्लीनिक एवं नर्सिंग होम्स के आवेदन संबंधी 13 प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत प्रति प्रकरण 500 रु के मान से, डॉ. आर. पी. श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर पर एकमुश्त राशि रु. 6,500/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/ आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियाँ, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय एवं श्री आशीष तिवारी, लोकसेवा प्रबंधक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल को चालान की एक-एक प्रति प्रेषित करें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

(डॉ. के.के. ठस्सू)

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /12/2017

क्रमांक 04/लोसेगा/2017/

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
6. डॉ. आर. पी. श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अनूपपुर की और पालनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, अनूपपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश